छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 18/2008</u>

1.	**श्री गुरूदीप सिंह सेहमी,** **सी-33, प्रेस काम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर,** **कोरबा (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* **कार्यालय कलेक्टर, कोरबा** **जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 31 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सेहमी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 22.01.2007 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कोरबा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 15.02.2007 को जन सूचना अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया, उसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की थी, जिसे दिनांक 14.08.2007 के द्वारा स्वीकार किया गया, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नही मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 26.12.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रतिअपीलार्थी के तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में अपीलार्थी ने पूर्व में पत्र भेजकर अपील में उल्लेखित तर्को को ही तथ्य मानकर प्रकरण में संज्ञान लेने का अनुरोध किया था । अपीलार्थी ने पूरे जिले की कम्प्यूटर में इलेक्ट्रानिक रूप में संग्रहित भूमिया/भू-अभिलेख के रिकार्ड की जानकारी सी0डी0 के रूप में मॉगी थी तथा प्रति अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी ने यह जानकारी तहसीलदार स्तर पर कम्प्यूटर में उपलब्ध होना बताया और उसके लिए अलग से नियम निर्धारित होना तथा निर्धारित शुल्क पर संबंधित खातेदार द्वारा लिया जाना बताया है और इस कारण उन्होंने धारा-8(जे) के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूचना से संबंधित जानकारी होने के कारण निरस्त करना बताया है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनहित में जानकारी मॉंगे जाने के कारण वह जानकारी देने के लिए निर्देश दिये गये । इस संबंध में जन सूचना अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि कलेक्टर द्वारा भी दिनांक 07.02.2007 के पत्र से शासन से मार्गदर्शन मॉंगा गया था और बाद में उन्हें यह उत्तर प्राप्त हुआ कि जिले से नकल देने का प्रावधान नही है और तहसीलदार से ही नकल देने का प्रावधान बनाया गया है,

इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने यह भी लिखित अभिमत दिया है कि भुइँया साफ्टवेयर का डाटाबेस राजस्व विभाग की संपत्ति है और उसकी लिखित सहमति के बिना किसी को डाटाबेस प्रदान नही किया जा सकता है और डाटाबेस को देखने के लिए जिस्ट साफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, अतः तकनीकी दृष्टि से जानकारी देना संभव नही बताया है । अपीलार्थी द्वारा यद्यपि प्रकरण में जनहित होने का आधार लिया गया है और अनेक बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि में धोखाधड़ी की है, इसके लिए जानकारी की आवश्यकता है और उन्होंने पूरे जिले की विस्तृत जानकारी माँगी है, जिसे तकनीकी दृष्टि से भी दिया जाना संभव नही है और व्यक्तिगत जानकारी के लिए राजस्व विभाग ने नियम बनाये है और उन्हीं नियमों के अनुसार वह दी जा सकती है, अतः उपरोक्त आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश चूंकि गलत था, अतः उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है तथा जन सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अपने स्थान पर सही है, उसे यथावत स्थिर रखा जाता है । अपीलार्थी को यदि इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रकरणों में जानकारी मॉगना आवश्यक हो तो वे संबंधित तहसीलदार से मेनुअल रीति से अभिलेखों की जानकारी नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं । कम्प्यूटर में संग्रहित जानकारी तो तकनीकी रूप से संभव नही होने पर उन्हें दिया जाना संभव नही है और वह जानकारी राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्राप्त की जा सकती है । अधिक से अधिक इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों की प्रति दी जा सकती है, जिसे अपीलार्थी को एक सप्ताह में निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी की उक्त अपील उपरोक्त निर्देशों के साथ निरस्त की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त